# सप्तदश बिहार विधान सभा

## तृतीय सत्र

## दैनिक विवरणिका

संख्या-02

मंगलवार, दिनांक- 27 जुलाई, 2021 ई० ।

**माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।**

**समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.36 बजे अपराह्न तक ।**

[1] **प्रश्नकाल** :-

(i) 05 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 07 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 107 तारांकित प्रश्न अनागत ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय मंत्री को निदेश दिया गया कि गलत उत्तर देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-6 के निस्तारण के दौरान सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन नहीं होने को लेकर सरकार के उत्तर से कतिपय मा० सदस्यगण संतुष्ट नहीं थे और उनकी माँग यह थी कि प्रबंध समिति का गठन शीघ्र कराई जाए । साथ ही प्रबंध समिति के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश भी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए ।

आसन द्वारा इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार को निर्देश दिया गया कि जो भी सरकारी विद्यालय सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं, मदरसा एवं उत्क्रमित विद्यालय सहित उनमें एक माह के अंदर प्रबंध समिति का गठन कराया जाय तथा इससे संबंधित परिपत्र या दिशा निर्देश मा० सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए ।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज के लिए सूचीबद्ध सभी अल्पसूचित प्रश्नों का उत्तर ऑनलाईन प्राप्त हो गया है तथा सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नों में से 93 प्रतिशत का ऑनलाईन उत्तर प्राप्त हो गया है ।

[2] **कार्यस्थगन प्रस्ताव** :-

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से प्राप्त कार्यस्थगत प्रस्ताव नियमाकुल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गयी ।

[3] **अन्य चर्चा** :-

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में दिनांक-23 मार्च, 2021 को जो अलोकतांत्रिक घटना सदन के अन्दर हुई थी उसपर विशेष बहस की मांग की गयी तथा जातीय

जनगणना कराने के संबंध में सदन की समिति बना कर माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का सुझाव सरकार को दिया गया ।

तत्पश्चात् विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये ।

आसन द्वारा कहा गया कि सदन में सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है और आसन जब अनुमति देता है तो वह अपनी बात रखते हैं । प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष सबको हम मौका देंगे ।

[4] **आसन का संदेश :-**

आज यहाँ जो विमर्श होगा, जिस विषय पर विमर्श होगा वह इस सदन के लिए पूरी विधायिका के लिए आवश्यक है । इससे संसदीय परम्परा समृद्ध होगी । यह आत्म चिन्तन का समय है । आत्म विश्लेषण का समय है । घटनाओं का घटित होना प्रकृति का नियम है । परन्तु कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें हमेशा कोसती रहती हैं । हमें यह महसूस होता है कि आह ! अगर हम ऐसा नहीं किए होते तो शायद यह नहीं घटित होता । यह अगर ऐसा हो ही गया है तो हमें इससे आगे कुछ नहीं करना चाहिए था । मुझे आज इस सदन में आप सब की भावनाओं में कहीं न कहीं पश्चाताप के कुछ स्पन्दन मुझे महसूस हुए हैं । यह सुखद है ।

माननीय सदस्यगण, 23 मार्च 2021 को जो घटना यहाँ घटी थी, वह अभूतपूर्व थी । सदन में विरोध, कुर्सी पटकना, एक दूसरे पर बाहें चढ़ाना कोई नई घटना नहीं है । पूर्व में भी इस सदन में ऐसी घटना हुई हैं । यहीं नहीं देश के अन्य विधायी निकायों, लोक सभा एवं राज्य सभा में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं । जहाँ तक बिहार विधान सभा में किसी सदस्य या कई सदस्यों द्वारा जब-जब भी इस तरह का अमर्यादित आचरण किया गया है, तब-तब सरकार की ओर से उन विधायकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव आया है । उन्हें सदन द्वारा दंडित भी किया गया है ।

इस सन्दर्भ में मैं पूर्व के कुछ उदाहरण को बताना चाहूँगा :-

दिनांक 06 अगस्त, 2015 को तत्कालीन मंत्री, संसदीय कार्य के प्रस्ताव पर माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति रश्मि को सदन से और समिति से भी निलंबित किया गया था ।

दिनांक 02 मार्च, 2012 को तत्कालीन मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव के प्रस्ताव पर माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति रश्मि को पाँच उपवेशनों के लिए निलंबित किया गया था ।

दिनांक 21 जुलाई, 2010 को तत्कालीन मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव के प्रस्ताव पर 71 (इकहत्तर) सदस्यों को सदन से निलंबित किया गया था ।

दिनांक 02 अगस्त, 1999 को तत्कालीन मंत्री श्री रामचन्द्र पूर्वे के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री दिलीप वर्मा को दो उपवेशनों के लिए निलंबित किया गया था ।

दिनांक 04 जुलाई, 1994 को तत्कालीन मंत्री संसदीय कार्य श्री रघुनाथ झा के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री आनन्द मोहन को पाँच उपवेशनों के लिए निलंबित किया गया था ।

उस दिन की घटना सदस्यों के आवेश की, उत्तेजना की पराकाष्ठा थी । सब कुछ हाथ से निकल चुका था । चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अन्ततः कुछ कठोर कदम उठाने पड़े ।

मैं नहीं समझता हूँ कि आप विरोधी दल के सदस्य या सत्ता पक्ष के सदस्य, संसदीय परम्परा का निर्वाह करने में देश के किसी भी विधायी संस्था से कमतर हैं । ये आप ही हैं जिन्होंने पिछले बाईस दिन के सेशन में इक्कीस दिनों तक बेहतरीन तरीके से सदन चलाकर सदन के शत प्रतिशत सूचीबद्ध कार्यों को पूरा किया । जनता के सवालों को उठाया, सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, सरकार की गलतबयानी का प्रतिवाद किया । इस राज्य के वित्तीय कार्यों पर सकारात्मक विमर्श किया, बजट भी पारित किया । परन्तु ये आप ही थे जिन्होंने उस दिन एक काला धब्बा अपने चेहरे पर लगा लिया ।

ये आसन क्या है । यह आसन इस सदन का कस्टोडियन है । यह इस सदन को सही दिशा प्रदान करने का उपक्रम है ताकि राज्य की जनता का हित साधा जा सके । अगर आप इस आसन का ही अपमान करेंगे, इसे कमरे में बंद कर देंगे तो फिर सदन में अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी । यही उस दिन हुआ । यह अजीब था । मेरे अब तक के संसदीय जीवन में इस तरह की घटना मैंने नहीं देखा था । मैं आहत था । दुखी था । मैंने कई बार सोचा कि ऐसा क्यों हुआ । मैंने तो कहा भी कि इस अमर्यादित आचरण को फूटेज के आधार पर देखा जाएगा । उस पर कार्रवाई की जाएगी । मैंने इसे समग्र रूप से विश्लेषण करने के लिए ही इसे आचार

समिति को सौंपा है । समिति के प्रतिवेदन आने पर, उसकी अनुशंसा आने पर मैं उसे आप सबके समक्ष सदन में रखूंगा । फिर निर्णय आपका होगा । मैं तो इस पीठ पर बैठकर इतिहास की इस दुर्घटना का साक्षी हो चुका हूँ ।

**मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि बिहार विधान सभा के इस ऐतिहासिक सदन में इस तरह की घटना की पुनरावृति कभी न हो ।**

मैं इसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपलोगों को यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हैं । आप सब संवेदनशील व्यक्ति है । इस राज्य की जनता का आप पर पूरा भरोसा है । आप सब उस घटना से सबक लें । संकल्प लें तो शायद भविष्य काफी उम्मीद भरा होगा । रचनात्मक होगा । वह सदन न आखिरी था और न यह सदन आखिरी है । यह सतत प्रक्रिया है । काफी जद्धोजहद के बाद इस देश में ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई है । कई लोग आप पर आँखे गड़ाएं बैठे हैं । वे आपके आंगन में घुस सकते हैं । आपका स्वतंत्रता और आपके विशेषाधिकार की धाज्जियाँ उड़ा सकते हैं । इसलिए सचेत होईए ।

सदन में आसन की गरिमा सर्वोपरि है । जब आसन की मर्यादा और गरिमा ही नहीं रहेगी तब लोकतंत्र का क्या मतलब रह जायेगा । विरोध हो और जरूर हो, लेकिन विरोध मर्यादित और संसदीय परंपराओं के अनुकूल होना चाहिए । सदन में अनुशासन, संयम और मर्यादित आचरण जरूरी है ।

सदन नियम और परम्पराओं के अनुसार चलता है । सदन के अंदर किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए । सबको सब बातों की जानकारी होनी चाहिए । किसी को कलंकित और बदनाम करने के बजाय हमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए । हमें आपसी मतभेद भुला कर अपनी रचनात्मक भूमिका और अपने अनुशासन, संयम तथा आचरण से विकास का नया पैमाना गढ़ना होगा ।

सदन में किसी भी सदस्य की ये मनोवृति नहीं होनी चाहिए कि किसी सदस्य की छवि धूमिल हो, किसी सदस्य को कलंकित करने की मानसिकता का परित्याग करना आवश्यक है । यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए । हम जो भी करते हैं ईश्वर या खुदा इसे नहीं जानता है, यह नहीं समझना चाहिए । लाखों लोगों की निगाह आपकी तरफ देख रही है । **हम चालक बने, चालाक नहीं ।** आप सभी इस बिहार के जनतारूपी गाड़ी के स्टेयरिंग हैं । बिहार की जनता के द्वारा आप माननीयों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गयी है । सदन में आप सभी सकारात्मक वातावरण तैयार कर बिहार के विकास में गवाह नहीं भागीदार बने ।

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग कहा गया कि उस दुखद दिन के दुखद घटना के संबंध में सरकार पूरी तरह से आपने जो भावना प्रकट की है हम उसके साथ हैं । उस दिन की घटना लोकतंत्र को कलांकित करने वाली घटना थी इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है । हम सब जानते हैं कि जनतंत्र में संप्रभुता जनता के पास होती है । हम सभी माननीय सदस्यगण जिनको जनता ने अपना विश्वास देकर जनतंत्र की रक्षा करने, जनतंत्र की हिफाजत के साथ जनहित का काम करने के लिए यहाँ भेजा है । हमारा आचरण उस अनुरूप में होता है कि नहीं इसपर जनता जरूर देखती है और सोचती है । हमको पूर्ण भरोसा है कि इस आसन पर कि आप विडियो फुटेज देख लें, सारी चीजें, जिसके कारण उस दिन अव्यवस्था फैली, काला अध्याय बिहार की विधायिका में जुड़ा उनको आप चिन्हित कर के, चाहे सरकारी अधिकारी हों या माननीय सदस्य हों, जो भी इसके लिए जिम्मेवार हो आप कार्रवाई करिए, सरकार आपकी कार्रवाई के साथ है ।

[5] <u>आसन की सूचना</u> :-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि दिनांक-23 मार्च, 2021 को दो घटनाएँ हुई थी । एक में सदस्यों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया था तथा दूसरे में माननीय सदस्यों के साथ सरकारी कर्मियों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया । पहले मामले में जांच आचार समिति को सौंपा गया है और वह जांच कर रही है। आचार समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी । दूसरे मामले में सरकार के द्वारा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बना कर कार्रवाई की जा रही है । इसमें पहले चरण में प्रथम दृष्टया दो पुलिसकर्मियों

को निलंबित किया गया है शेष मामलों की रिपोर्ट जल्द आएगी । साथ ही कहा गया कि हम बेहतर आचरण करें कि भविष्य में किसी और कृत से लज्जित न होना पड़े यह सबको संकल्प लेना है ।

[6] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ** :-

(i) माननीय सदस्य श्री जनक सिंह एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री जनक सिंह द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके उत्तर के लिए सदन से समय लिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके उत्तर के लिए सदन से समय लिया गया ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

**भोजनावकाश के बाद**

(02.00 बजे अपराह्न से 03.40 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण 23 मार्च, 2021 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर विशेष बहस की मांग करते हुए शोर-गुल करने लगे और वेल में आ गए ।

आसन द्वारा कहा गया कि आप लोगों को आज हमने बोलने का मौका दिया है जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की ओर से विषय को रख दिया गया है । नियमावली के आधार पर अलग-अलग फोरम पर अगर आप विषय को रखेंगे तो उसपर सुनवाई होगी ।

किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांग पर कायम रहे और सदन से बहिर्गमन कर गये ।

[7] **राजकीय विधेयक** :-

"**बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021**"

माननीय प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग श्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा विधेयक के जनमत जानने का प्रस्ताव, संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव एवं विधेयक के मूल पाठ में संशोधन का प्रस्ताव सदन से अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री अजय कुमार सिंह, श्री मुकेश कुमार रौशन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

"**आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021**"

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा विधेयक के संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव एवं विधेयक के मूल पाठ में संशोधन का प्रस्ताव सदन से अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त इस विधेयक के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आर्यभट्ट की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय का नाम संक्षेप में न लेकर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में लिया जाए ताकि आर्यभट्ट के नाम से आने वाली पीढ़ी भी अवगत हो सके ।

तदुपरान्त आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

**"बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021"**

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पाण्डेय द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श, संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव, प्रवर समिति का प्रस्ताव सदन से अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधनों में से माननीय सदस्य श्री पंकज कुमार मिश्र एवं श्री संजय सरावगी के खंड-4 में दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को सदन द्वारा स्वीकार किया गया । अन्य माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण शेष संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

**"बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021"**

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग डा० आलोक रंजन द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श, जनमत जानने का प्रस्ताव, प्रवर समिति का प्रस्ताव एवं विधेयक के मूल पाठ में संशोधन का प्रस्ताव सदन से अनुपस्थित रहने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री अजय कुमार सिंह, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तदुपरांत बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

[8] **निवेदन** :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 19 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-28 जुलाई, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-27.07.2021

**भूदेव राय**
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।